बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत 14–15 जनवरी को

- डीएलएसए के साथ मिलकर दो दिवसीय लोक अदालतों का आयोजन
- जिला न्यायालय कड़कड़डूमा और पीएलए बिल्डिंग आईटीओ पर लगाई जाएंगी लोक अदालतें
- पूर्वी और मध्य दिल्ली के उपभोक्ताओं को लिए स्पेशल लोक अदालतें
- 18 अदालतें लगाई जाएंगी
- नए कनेक्शन/ री–कनेक्शन के लिए आवेदन करने की सुविधा भी ऑन–द–स्पॉट उपलब्ध

नई दिल्लीः 11 जनवरी, 2017। बिजली चोरी के मामलों के तत्काल निपटारे के लिए, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड –बीवाईपीएल– दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी – डीएसएलएसए – के साथ मिलकर 14 और 15 जनवरी को दो दिवसीय स्पेशल लोक अदालतों का आयोजन करने जा रही है। पूर्वी दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर और मध्य दिल्ली में पीएलए बिल्डिंग आईटीओ पर ये अदालतें लगाई जाएंगी।

यह दो दिवसीय लोक अदालत, पूर्वी और मध्य दिल्ली में रहने वाले बीवाईपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक, वन–टाइम अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल तथा परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके। यहां बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।

बिजली चोरी मामले के निपटारे तथा तय रकम के भुगतान के बाद, बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को ऑन–द–स्पॉट बिजली के नए कनेक्शन/री–कनेक्शन के लिए आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, जो उपभोक्ता 7 दिन के भीतर तय रकम का भुगतान कर देंगे, उन्हें अतिरिक्त लाभ सुविधाएं दी जाएंगी।

लोक अदालत से संबंधित 31,000 पत्र/ नोटिस उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को भेजे जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक मामले दरियागंज डिविजन के हैं। उसके बाद, यमुना विहार, जीटी रोड, पहाड़गंज, नंद नगरी और चांदनी चौक डिविजनों से जुड़े मामले हैं।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे यहां खुद आ सकते हैं, या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। उन्हें अपना आईडी प्रूफ और विवादित बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी।

बिजली चोरी मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से यहां 18 अदालतें अलाई जाएंगी। लोगों की सुविधा के लिए बीवाईपीएल यहां 14 हेल्प डेस्क भी लगाएगी, जहां इस कार्य के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित बीवाईपीएल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बीवाईपीएल को उम्मीद है कि लोक अदालत को उपभोक्ताओं की ओर से अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा।

लोक अदालत के दौरान मामलों के निपटारे के बाद उपभोक्ताओं को तय रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। वे बीवाईपीएल के निर्धारित एन्फोर्समेंट ऑफिसों में तय रकम का भुगतान कर सकते हैं। सेटल्ड रकम के भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा।

उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए यह आखिरी अवसर है। यदि वह इसमें डिफॉल्ट करते हैं, तो कंपनी उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानो के मुताबिक, आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगी।

लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बीवाईपीएल हर संभव कदम उठा रही है। तमाम माध्यमों से उपभोक्ताओं तक इस बारे में सूचना पहुंचाई जा रही है। इस बारे में पत्र/ नोटिस भेजने के अलावा, लीफलेट, पोस्टर, बैनर, मुनादी आदि के माध्यम से भी लोगों तक लोक अदालत से संबंधित सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। लोकप्रिय एफएम चैनलों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

बीवाईपीएल ने अपनी पर्यावरण–हितैषी नीतियों का ध्यान में रखते हुए, इसे एक हरित यानी ग्रीन लोक अदालत के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। बीवाईपीएल और डीएलएसए ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि यह लोक अदालत एक कागजविहीन यानी पेपरलेस लोक अदालत हो। गौरतलब है कि वहां फाइलों की आवाजाही नहीं होगी। बिजली चोरी के मामलों से संबंधित सभी प्रासंगिक कागजात वहां कंप्यूटरों पर उपलब्ध होंगे। इस दो दिवसीयस पेपरलेस लोक अदालत के दौरान, कागज की 30 हजार ए4 शीट्स बचने की उम्मीद है।

बीवाईपीएल प्रवक्ता के मुताबिक, हम पूर्वी व मध्य दिल्ली के अपने उपभोक्ताओं से अपील करते हैं कि वे इस अनोखे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाएं। यह उनके लिए सुनहरा मौका है। लोक अदालत उन्हें यह मौका उपलब्ध करा रही है कि वे अपने मामलों का परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा करवाएं। यह उनके लिए काफी समय लेने वाली व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से बचने का अवसर मुहैया करा रही है। साथ ही, यह उन्हें कानूनी ढंग से बिजली का कनेक्शन लेकर डिस्कॉम के बिलिंग नेटवर्क में आने का मौका भी उपलब्ध करा रही है।

प्रवक्ता के अनुसार, इस तरह की लोक अदालतें न सिर्फ उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को तेजी से और परस्पर स्वीकार्य ढंग से अपने मामलों का निपटारा करवाने का अवसर देती हैं, बल्कि इनसे अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।